न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बसिया (गुमला)।

दाखिल खारिज अपील वाद सं0 54/2017–18 प्रथम पक्ष– जितनी देवी .... अपीलार्थी

अनुसूची – 14 फर्म सं0 563 बनाम

द्वितीय पक्ष– झारखण्ड सरकार।

आदेश की क0सं0 एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
23/3/21	प्रस्तुत वाद श्री जितनी देवी, पति गणपत प्रसाद ग्राम चैनपुर कोनसलता, थाना–पालकोट, जिला गुमला द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0 41 R 27/2016–17 में अंचल अधिकारी, पालकोट के न्यायालय में दिनांक 18/03/2017 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील दायर किया गया।	

वादगत् भूमि का विवरण :–

मौजा/थाना नं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा
पालकोट	308	1635	0.04 एकड़
		कुल रकबा	**0.04 (चार) एकड़**

अपीलार्थी एवं उनके विद्वान अधिवक्ता के द्वारा दाखिल अपील वाद को सुनवाई हेतु इस अपीलवाद को ग्रहण किया गया। अपील आवेदन पर कार्रवाई प्रारम्भ कर अपीलकर्त्ता को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। तथा निम्न न्यायालय का मूल अभिलेख का मांग किया गया। अभिलेख प्राप्त है।

अपीलार्थी के आवेदित भूमि के दस्तावेजो का अवलोकन किया। अंचल अधिकारी, पालकोट के पारित आदेश में आवेदित भूमि का दाखिल खारिज अस्वीकृत का कारण खतियानी रैयत अर्जून घांसी पिता आनंद घांसी के नामे से दर्ज है पंजी ii में मदन घांसी पिता छेदी घांसी के नाम पर वर्तमान में मांग चल रहा है। विक्रेतागण खतियान रैयत के पुत्र है आवेदित भूमि CNT Act के अंतर्गत आता है। दाखिल खारिज वाद को अंचल अधिकारी पालकोट द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है।

वाद की सुनवाई के दौरान अंचल अधिकारी, पालकोट से प्राप्त निम्न न्यायालय का संबंधित दाखिल खारिज अभिलेख का अवलोकन किया गया।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता बसिया, (गुमला)

अपीलार्थी के अधिवक्ता का लिखित बहसः–

अपीलार्थी नोटिस प्राप्त कर अपने प्रधिकृत विद्वान अधिवक्ता के माध्य से उपस्थित हुए एवं कहना है कि मौजा पालकोट के खाता सं0 308, प्लॉट सं0 1635 रकबा 0.33 एकड़ में से 0.04 एकड़ भूमि को मदन राम से निबंधित पट्टा सं0 1047 दिनांक 16/04/1988 के द्वारा खरीदगी की गई है एवं शांतिपूर्वक दखलकार चले आ रहे है।

अपीलार्थी द्वारा अंचल अधिकारी पालकोट के समक्ष दाखिल खारिज हेतु आवेदन दिया गया अंचल जॉच प्रतिवेदन में राजस्व कर्मचारी ने अपने जॉच प्रतिवेदन में अपीलार्थी का शांतिपूर्वक दखल पाकर दाखिल खारिज हेतु अनुशंसा किया गया है अंचल निरीक्षक ने अपने जॉच प्रतिवेदन में अपीलार्थी के दखल को स्वीकृत किया किन्तु छो0टे0 एक्ट की धारा46 (1) (बी) के अन्तर्गत भूमि अच्छादित जाति में सम्मिलित है अतः न्यायिक प्रकिया की समीक्षा के पश्चात ही आवेदित भूमि का नामान्तरण हेतु अग्रेतर कार्रवाई की अनुशंसा की है। झारखण्ड सरकार द्वारा छो0टे0एक्ट की धारा 46(1) (बी) के अन्तर्गत आदिवासी/हरिजन/पीछड़ी वगै0 की जातिवार सूचि जारी कर भूमि बिक्री पर संशोधन कर दिसम्बर 2012 से प्रभावी बनाया गया । अपीलार्थीगण द्वारा उक्त तिथि के काफी पूर्व दिनांक 16/04/1988 को ही जमीन खरीद की गई है। अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन में न्यायिक समीक्षा के पहचात् ही अग्रेतर कार्रवाई की अनुशंसा की गई थी किन्तु अंचल अधिकारी द्वारा बिना समीक्षा किये 18/03/2017 को दाखिल खारीज आवेदन को खारिज कर दिया गया । अंचल अधिकारी ने अंचल निरीक्षक के न्यायिक समीक्षा उपरान्त निर्णय लिये जाने की अनुशंसा पर विचार नहीं किया गया। छो0टे0एक्ट की धारा 46(1) (बी) में आदिवासी/हरिजन/पिछड़ा वर्ग की सूची जारी कर दिसम्बर 2012 से प्रभावी बनाया गया जिसपर अंचल अधिकारी ने विचार नहीं किया। अपीलार्थी द्वारा खरीद की भूमि के समय हरिजन की जमीन बिक्री पर प्रतिबंध नहीं था, इस बिन्दु पर अंचल अधिकारी को विचार करना चाहिए। अंचल अधिकारी को यह विचार करना चाहिए था कि आम सूचना निर्गत किये जाने पर किसी के द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई । राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के जॉच प्रतिवेदन पर अपीलार्थीगण के दखल बिंदु पर भी अंचल अधिकारी को विचार किया जाना चाहिए था।

अपीलार्थी की ओर से दाखिल कागजात।

1. रजिस्ट्री पट्टा की छाया प्रति।

उक्त वाद्गत दाखिल खारिज अपील वाद के संबंध में अंचल अधिकारी, पालकोट का जॉच प्रतिवेदन :–

प्रतिवेदन में अंकित किया गया है कि आवेदित भूमि मौजा पालकोट के खाता सं0 308, प्लॉट सं0 1635 रकबा 0.04 एकड़ भूमि सर्वे खतियान में अर्जून घांसी पिता आनंद धांसी के नाम से दर्ज है। पंजी ii में मदन घांसी पिता छेदी घांसी के नाम पर वर्तमान में मांग चल रहा है। अपीलार्थी ने रजिस्ट्री पट्टा सं0 1047 दिनांक 16/04/1988 द्वारा क्रय किया है। आम सूचना निर्गत किया गया कोई आपत्ति नहीं है, क्रेता का शांतिपूर्वक दखल कब्जा है। यह भूमि भूदान भू – हदबंदी, वन सीमा गैर/आम खास जमीन से मुक्त है। संबंधित हल्का कर्मचारी आवेदित भूमि का दाखिल खारीज हेतु अनुशांसा किया गया है अंचल निरीक्षक जॉच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि क्रेता विक्रेता से खरीदकर दखल में है परन्तु वर्तमान में आवेदित जमीन
C.N.T Act. 46(1)बी के अन्तर्गत आच्छादित जाति में सम्मिलित है। अंचल निरीक्षक के जॉच प्रतिवेदन के आलोक में दाखिल खारिज आवेदन को खारीज किया जाना

है।

उपर्युक्त तथ्यों के अवलोकन के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अंचल अधिकारी, पालकोट द्वारा अस्वीकृत किया गया कि दाखिल खारिज वाद सं 41 R 27/2016–17 दिनांक 18/03/2017 में मौजा पालकोट के खाता सं0 308, प्लॉट सं0 1635 रकबा 0.04 एकड़ भूमि सर्वे खतियान में अर्जून घांसी पिता आनंद धांसी के नाम से दर्ज है। पंजी ii में मदन घांसी पिता छेदी घांसी के नाम पर वर्तमान में मांग चल रहा है। अपीलकर्त्ता ने रजिस्ट्री पट्टा सं0 1047 दिनांक 16/04/1988 द्वारा क्रय किया किया गया है। विक्रेतागण पंजी ii रैयत के पुत्र है आवेदित भूमि CNT Act के अंतर्गत आता है। उक्त वाद्गत भूमि को अपीलार्थी पंजी ii रैयत मदन घांसी पिता छेदी घांसी से निबंधन पट्टा से उक्त वाद्गत भूमि को खरीद कर दखल में है। पूर्व में इस न्यायालय में इसी प्रकार का अपील वाद लाया गया था। दाखिल खारिज अपील वाद सं0 08/2017–18 एवं 10/2017–18 में सरकारी अधिवक्ता (आदित्यनाथ तिवारी) से मंत्वय की मांग की गई थी। जिसमें उनके द्वारा मंत्वय दिया गया है कि छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(5) के अन्तर्गत अनुसूचित जाति की भूमि का हस्तांतरण के पूर्व उपायुक्त के अनुमति से ही भूमि का हस्तांतरण करना था परंतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग झारखण्ड सरकार से राज्यादेश निर्गत नहीं होने के कारण अनुसूचित जति की भूमि का हस्तारंण गैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति एवं अन्य के बीच भेद किये बगैरह हो रहा था। परंतु W.P. (PIL) No. 758 of 2011 Shalkhan Murmoo Versus the State of Jharkhand and ohers का आदेश आने के पश्चात् झारखण्ड सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा दिनांक 01/03/2012 को राज्यादेश निर्गत होने के पश्चात उपायुक्त के अनुमति के बिना अनुसूचित जाति की भूमि का हस्तांतरण पर रोक लगा दिया गया। सरकारी अधिवक्ता के द्वारा मंत्वय दिया गया है कि उक्त वाद को स्वीकृत करने से C.N.T Act. 46(1)बी का किसी प्रकार से उल्लंघन नहीं होता है। उक्त वाद्गत भूमि कि खतियानी रैयत के वंशज जो अनुसूचित जाति के सदस्य है वाद्गत भूमि को वर्ष 1988 में अपीलार्थी के पक्ष में विक्री पट्टा लिखा गया है अपीलार्थी लगभगत 33 वर्षो से वाद्गत भूमि पर शांतिपूर्वक दखलकार है कोई आपत्ति दायर नहीं किया गया है। अपीलार्थी का Adverse possession भी है। उक्त वाद्गत भूमि में नोटिस तामिला प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद किसी ने न्यायालय में कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराया है। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा अपने स्थल जॉच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि अपीलार्थी का वाद्गत भूमि में शांति पूर्ण दखल कब्जा है, किसी अन्य के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं है।

अतः अंचल अधिकारी, पालकोट के द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0 41 R27/2016–17 दिनांक 18/03/2017 में पारित आदेश को खारिज करते हुए अपीलार्थी के अपील को स्वीकृत किया जाता है प्रश्नगतत मामले में पंजी ii में नाम दर्ज करने एवं ऑनलाईन रसीद निर्गत करने हेतु इस आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, पालकोट को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

Digitally signed by SHEKHAR KUMAR
Date: 2024.07.19 17:15:57 +05:30
Location: 192.168.1.19

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
बसिया।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता बसिया, (गुमला)

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
बसिया।